



राज्य कार्यालय
STATE OFFICE

खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय
O/o COMMISSIONER FOR KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES
(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of MSME, Govt of India)



वी.के. नागर

निदेशक

कमांक- रा0का0अ0/खादी/सामान्य/2015-16

सेवा में

प्रमुख सचिव,

खाद्य एवं रसद विभाग,

हरियाणा सरकार,

चण्डीगढ़

Establishment Branch-I

Dairy No. 4725

Dated. 29/7/15

दिनांक 17.07.2015

O/o ACDFIS
No. 2840
Date 27/7/15

PS/DGFS

Receipt No. 2835
Date 29/07/15

31-7-15
ACFS

28-7-15
ACFS

30-7-15
ACFS

31-7-15
ACFS

31-7-15
ACFS

31-7-15
ACFS

31-7-15
ACFS

विषय- खादी और ग्रामोद्योगी वस्तुओं की खरीद के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) संसद के एक अधिनियम सन् 1956 के 61वें तथा 1987 के अधिनियम कमांक 12 तथा 2006 के अधिनियम कमांक 10 के द्वारा संशोधित) के द्वारा सृजित एक विधिविहित संगठन है, अप्रैल 1957 में स्थापित इसने अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के कार्यभार हाथ में लिया। यह संगठन सूक्ष्म, मध्यम एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यरूप से निम्न उद्देश्य निर्धारित किये हैं :-

1. रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य।
2. बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य, और
3. जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करने का व्यापक उद्देश्य।

हरियाणा प्रांत में वर्तमान में 97 खादी की संस्थाएं कार्यरत हैं जिनका प्रतिवर्ष सूती खादी, ऊनी खादी व पोली खादी का उत्पादन लगभग 100 करोड़ का है जिसके कारण हरियाणा प्रांत के कस्बों एवं बुनकरों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। अधिकतर खादी संस्थाओं के उत्पादन केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। हरियाणा प्रांत की खादी संस्थाएं विभिन्न प्रकार के खादी वस्त्रों का निर्माण करती हैं जैसे - शूटिंग शर्टिंग, रेडिमेड कुर्ता पजामा, जैकेट, कोट, पैट, शर्ट, मफलर, लेडिज सूट, कुर्ती, स्कार्फ, स्टोल, दुपट्टा, टोपी, खेश, चादर, टॉवल, गमछा, कम्बल, शाल, टवीड, दरी, रजाई, गद्दे, बैडशीट, तकिये, तकिये कवर, डस्टर, पर्दे, फर्शी दरी इत्यादि। इसके अतिरिक्त हाथ कागज उत्पादन करने वाली ग्रामोद्योगी इकाईयां भी हैं जो फाईल कवर का निर्माण करती हैं।

आपसे निवेदन है कि कृपया अपने अधीनस्थ सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की वरिंदी हेतु वस्त्र, कार्यालय में काम आने वाले अन्य उत्पाद, फाईल कवर आदि के आपूर्ति आदेश इस कार्यालय को निजवाने का कष्ट करेंगे।

आपके इस प्रयास से प्रदेश की खादी संस्थाओं को विपणन के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कस्बियों, बुनकरों आदि को निरंतर रोजगार के अवसर प्राप्त होते रहेंगे।

भवदीय,

(वी.के. नागर)

निदेशक

103-ए, दी माल, अम्बाला-छावनी-133001 (हरियाणा)

103-A, The Mall, Ambala Cantt-133001 (Haryana)

Tel : 0171-2630334, Fax : 0171-2643688, e-mail : kvicamb@rediffmail.com, so.ambala@kvic.gov.in

OFFICE OF DIRECTOR GENERAL FOOD & SUPPLIES, HARYANA, CHANDIGARH

Endst. No. 6E(I)-2015/ 25983

Dated, Chandigarh, the 12.08.2015

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Officers/Branch Officers at Hqrs.
2. All the District Food and Supplies Controllers in the State of Haryana.
3. DCLM, Haryana, Near Football Chowk, Ambala Cantt.

29/8/2015

Deputy Superintendent Estt.-1

for Director General Food & Supplies, Haryana